



प्रेस नोट

एटीएस द्वारा अवैध इन्टरनेट कालिंग रैकेट का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार

दिनांक : 04 अप्रैल, 2019

दिनांक 02-04-2019 को अयोध्या में एक व्यक्ति के फोन पर असलहा ले जाने व बम विस्फोट करने विषयक फोन आया। उक्त व्यक्ति कि सूचना पर जनपद- अयोध्या में अभियोग पंजीकृत हुआ। जब एटीएस ने फोन नंबर की जांच शुरू की तो पता चला कि विभूति खंड के अंशू यादव ने एयरटेल की पीआरआई लाइन ले रखी है यह नंबर उसी का है। जब एटीएस द्वारा उसके घर जाकर देखा गया तो वहां पर कई पीआरआई लाइन व सर्वर चलते हुए पाये गए जिनसे फेक कॉल कराई जा रही थी।

आज दिनांक 04 अप्रैल 2019 को डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम फील्ड यूनिट यूपी ईस्ट एल.एस.ए. (लाइसेंस सर्विस एरिया) और यूपी एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में इन्टरनेट गेटवे को बाईपास कर विदेश से आने वाली अवैध इन्टरनेट कालिंग रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए दो अभियुक्त को विभूति खण्ड लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अयोध्या के व्यक्ति को प्राप्त हुए कॉल के सम्बन्ध में जांच जारी है।

अभियुक्त का नाम पता –

- 1-अंशू यादव पुत्र स्व०सिया राम यादव
निवासी ग्राम -गौरिया खुर्द थाना- खैराबाद
जनपद- सीतापुर उम्र -25 वर्ष
- 2- अनिल कुमार यादव उर्फ आशीष
पुत्र राजाराम यादव ग्राम-देहुआ
थाना-सिंगरामऊ जनपद-जौनपुर उम्र -36 वर्ष



अनिल कुमार यादव

अंशू यादव

विवरण

- अभियुक्त गण गोमती नगर लखनऊ के तीन स्थानों में यह रैकेट चला रहे थे।
 - म. नं. डी-140 विभूति खण्ड, कलाउड इन्फ्राटेल इंजीनियरिंग नाम से इंस्टाल कर चुके थे।
 - म. नं. डी-318 विभूति खण्ड, स्टार टेलिकॉम नाम से इंस्टाल कर चुके थे।
 - म. नं. डी-199 विभूति खण्ड, अभी पूरी तरह से इंस्टाल नहीं कर सके थे।
- अवैध इन्टरनेट कालिंग में अभियुक्त गण विदेश की इन्टरनेट काल को वाइस काल में बदल कर भारत के किसी भी नंबर पर बात कराते थे। जिसमे डिस्प्ले पर विदेशी नम्बर की जगह भारत का ही नम्बर दिखेगा। ऐसी कॉल गेटवे के माध्यम से नहीं आती है।
- इस प्रकार के अवैध एक्सचेंज एवं वीओआईपी गेटवे की मॉनीटरिंग नहीं की जा सकती तथा यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिये भारी खतरा है।

पूछताछ और अग्रिम कार्यवाही केबिन्दु

- अवैध इन्टरनेट कालिंग कब से कर रहे हैं ?
- इस कार्य मे इनके और कौन-कौन से साथी हैं ?
- अवैध इन्टरनेट कालिंग को करना इन्होंने कहां से कैसे सीखा ?
- इस कार्य से इन्होंने कितना धन अर्जित किया और उसे कहां कहां इन्वेस्ट किया ?
- इस अवैध इन्टरनेट कालिंग एक्सचेंज की तरह और यह लोग कितने एक्सचेंज चला रहे हैं ?

गिरफ्तार करने वाली टीम

डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम फील्ड यूनिट यूपी ईस्ट एल.एस.ए. के साथ-साथ यूपी एटीएस के पुलिस उपाधीक्षक श्री सविरत्न गौतम, निरीक्षक के.एम.राय, उ.नि. सुरेश चंद गिरी, उ.नि. हरेन्द्र सिंह, उ.नि. अरविन्द पाण्डेय, कम्प्यूटर ऑपरेटर केशव सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर सिद्धार्थ, मुख्य आरक्षी लालधारी यादव, आरक्षी जितेन्द्र वर्मा, आरक्षी सुधीर पटेल, आरक्षी रविंद्र यादव की टीम ने उपरोक्त गिरफ्तारी की।

अयोध्या में संदिग्ध कॉल करने वाले आरोपी की तलाश जारी है।

असीम अरुण, एडीजी यूपी एटीएस



फोटो प्राप्त करने के लिये यहाँ क्लिक करें –

<https://drive.google.com/open?id=1vYxhSZECItGvWXouL5KX8P6HwFxE7a4F>